(भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग ।।,खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशनार्थ)
भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
(राजस्व विभाग)

अधिसूचना संख्या 06 /2020-सीमाशुल्क (एडीडी)

नई दिल्ली, दिनांक 12 मार्च, 2020

सा.का.नि. ..... (अ)- जहां कि चीन जनवादी गणराज्य (एतश्मिन पश्चात जिसे विषयगत देश से संदर्भित किया गया है) में मूलत: उत्पादित और वहां से निर्यातित "शीट ग्लास" (एतश्मिन पश्चात जिसे विषयगत वस्तु से संदर्भित किया गया है), जो कि सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) (एतश्मिन पश्चात जिसे उक्त सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम से संदर्भित किया गया है) की प्रथम अनुसूची के अध्याय 70 के अंतर्गत आता है के आयात पर भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना संख्या 7/2015-सीमा शुल्क (एडीडी), दिनांक 13 मार्च, 2015 जिसे सा.का.नि. 190 (अ), दिनांक 13 मार्च, 2015 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग ।।, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशित किया गया था, के द्वारा लगाए गए प्रतिपाटन शुल्क को जारी रखने के मामले में निर्दिष्ट प्राधिकारी उक्त सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम की धारा 9क की उप धारा (5) के अनुसार तथा सीमा शुल्क टैरिफ (पाटित वस्तुओं की पहचान, उनका आंकलन और उन पर प्रतिपाटन शुल्क का संग्रहण तथा क्षति निर्धारण) नियमावली, 1995 के नियम 23 के अनुपालन में, अधिसूचना संख्या 7/10/2019-डीजीटीआर, दिनांक 17 जुलाई, 2019, जिसे दिनांक 17 जुलाई, 2019 को भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग ।, खंड । में प्रकाशित किया गया था, के तहत समीक्षा का कार्य शुरू किया था और उक्त सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम की धारा 9क की उप धारा(5) के अनुसार उक्त प्रतिपाटन शुल्क को आगे भी जारी रखने की सिफारिश की थी ।

अत: अब, उक्त सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम की धारा 9क की उप धारा (1) और (5) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और उक्त नियमावली के नियम 18, 20 और 23 के अनुपालन में, केन्द्र सरकार, एतदद्वारा, भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना संख्या 7/2015-सीमाशुल्क (एडीडी), दिनांक 13 मार्च, 2015, जिसे सा.का.नि. 190(अ), दिनांक 13 मार्च, 2015 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग ।।, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशित किया गया था, में निम्नलिखित संशोधन करती है,यथा:-

उक्त अधिसूचना में, पैराग्राफ 2 के पश्चात और स्पष्टीकरण के पहले, निम्नलिखित पैराग्राफ को अंत:स्थापित किया जाएगा;-

"3. पैराग्राफ 2 में निहित किसी भी बात के बावजूद, यह अधिसूचना 12 मार्च, 2025 तक, जिसमें यह तारीख भी शामिल है, यदि इसके पहले इसको वापस नहीं ले लिया जाता है तो, लागू रहेगी । "

[फाइल संख्या 354/30/2020 –टीआरयू]

(गौरव सिंह)
उप सचिव, भारत सरकार